दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णित : 17 जनवरी, 2023

रि.या.(सि) 584/2023 के साथ सि.वि. आ.(नों) 2281/2023, 2282/2023

मास्टर प्रभनूर सिंह विर्दी (नाबालिग पुत्र) अपने पिता करमजीत सिंह विर्दी (पिता) के द्वारा .... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मलका असद, सुश्री सोनल सिंह अधिवक्तागण सह याचिकाकर्ता के पिता (मो. : 8607396172)

बनाम

द इंडियन स्कूल व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री प्रमोद गुप्ता, सुश्री सान्या, सुश्री उत्कर्षा, अधिवक्तागण प्र-1 / विद्यालय के लिए (मो. : 8057045450)

सुश्री महक नाकरा, अति.स्था.अधि. (सिविल) रा.रा.क्षे.दि.स. सह श्री करण कपूर, प्र-2 / शिक्षा निदेशालय (डीओई) के अधिवक्ता (मो. : 9871144582)

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्कर्णा

[भौतिक सुनवाई / हाइब्रिड सुनवाई]

<u>मिनी पुष्कर्णा, न्या. (मौखिक):</u>

1. वर्तमान रिट याचिका इस शिकायत के साथ दायर की गई है कि बालक याचिकाकर्ता का नाम शुल्क का भुगतान न करने के कारण और इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता कक्षा 10 का छात्र है, विद्यालय से काट दिया गया है| याचिका को तत्काल उल्लेख करने के उपरांत सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा (प्रैक्टिकल परीक्षाएं) कल यानी दिनांक 18.01.2023 से निर्धारित की गई हैं, जो आगामी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का आवश्यक भाग है। इस प्रकार, वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय को निर्देश देने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि याचिकाकर्ता को नामावली में एक छात्र के रूप में बहाल किया जाए और बालक याचिकाकर्ता को कक्षा 10 के लिए आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए|

2. याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय में अध्ययन कर रहा है| याचिकाकर्ता ने कोविड की शुरुआत से पहले तक एक समयबद्ध तरीके से विद्यालय शुल्क के सभी पिछले भुगतान किए हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा जनवरी, 2021 तक का शुल्क का भुगतान किया गया है।

3. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसके पिता को हुए वित्तीय नुकसान के कारण, वह महामारी लॉकडाउन के बाद नियमित रूप से शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय ने विद्यालय की नामावली से याचिकाकर्ता का नाम हटाने की सिफारिश के साथ याचिकाकर्ता की

लंबित शुल्क राशि के संबंध में याचिकाकर्ता को पत्र दिनांकित 20.08.2022 जारी किया| इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय ने भी 30.8.2022 दिनांकित एक ई-मेल भेजा, जिसमें उसने फिर से याची का नाम हटाने की सिफारिश की|

4. उपर्युक्त ई-मेल प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता के पिता ने शिक्षा निदेशालय (संक्षेप में 'डीओई') से संपर्क किया तथा दिनांक 05.09.2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षा विभाग से अनुरोध किया कि वह विद्यालय को निर्देश दे कि वह याचिकाकर्ता को उसकी कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दे और विद्यालय की सूची से याचिकाकर्ता का नाम न काटे।

5. तथापि, प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय ने याचिकाकर्ता के पिता को दिनांक 07.09.2022 के पत्र द्वारा सूचित किया कि याचिकाकर्ता के नाम को विद्यालय की सूची से काट दिया गया है| तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता के पिता ने प्रत्यर्थी सं. 2 - डीओई से दोबारा संपर्क किया। इसके बाद, प्रत्यर्थी सं. 2 - डीओई ने प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय को 12.09.2022 को एक पत्र जारी कर विद्यालय से उन सभी छात्रों के नाम वापस लेने का अनुरोध किया जिनके नाम शुल्क के विलंब / भुगतान न करने के कारण विद्यालय की नामावली से काट दिए गए थे। विद्यालय से यह भी आगे अनुरोध किया गया कि छात्रों को विद्यालय में अपनी पढ़ाई / परीक्षा जारी रखने की अनुमति दी जाए।

6. याचिकाकर्ता के पिता ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संक्षेप में 'डीसीपीसीआर') में भी शिकायत की। शिकायत के जवाब में, डीसीपीसीआर ने मामले का संज्ञान लिया और स्थिति की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अंतरिम

निर्देश जारी किए। डीसीपीसीआर ने दिनांक 13.09.2022 के अपने आदेश द्वारा निर्देश दिया कि आयोग द्वारा जांच लंबित रहने तक विद्यालय किसी भी छात्र को वर्तमान छमाही परीक्षाओं में शामिल होने से नहीं रोकेगा।

7. इसके बाद, प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय ने 14.09.2022 और 16.09.2022 दिनांकित ई-मेल के माध्यम से याचिकाकर्ता को छमाही परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी और याचिकाकर्ता को कक्षाओं में उपस्थित होने की भी अनुमति प्रदान की|

8. बाद में, हालांकि, याचिकाकर्ता का नाम विद्यालय द्वारा फिर से काट दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ता को दिनांक 19.11.2022 के ई-मेल द्वारा सूचित किया गया था| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त ई-मेल प्राप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता के पिता ने विद्यालय के अधिकारियों से याचिकाकर्ता को कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने का अनुरोध करने के लिए कई प्रयास किए। हालांकि, प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय ने याचिकाकर्ता को न तो विद्यालय जाने की अनुमति दी, और न ही अब याचिकाकर्ता को 10वी कक्षा की प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दे रहा है जो कल यानी दिनांक से 18.01.2023 से शुरू होनी है|

9. सुश्री महक नाकरा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की अति.स्था.अधि. (सिविल) ने अग्रिम नोटिस पर उपस्थित होते हुए प्रस्तुत किया कि डीओई ने पहले ही विद्यालय को दिनांक 12.09.2022 को एक पत्र लिखा है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय को उन सभी छात्रों, जिनके नाम काट दिए गए थे, के नाम वापस लेने

और छात्रों को विद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ-साथ उन्हें परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करती हैं कि डीओई याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन कर रहा है कि याचिकाकर्ता को न तो विद्यालय में उपस्थित होने और न ही परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोका जाए।

10. शुरुआत में, प्रत्यर्थी सं. 1, विद्यालय की ओर से श्री प्रमोद गुप्ता, अग्रिम नोटिस पर उपस्थित अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका का जोरदार विरोध किया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि न केवल याचिकाकर्ता द्वारा बल्कि उसकी बहन के द्वारा भी, जो पिछले शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 में उत्तीर्ण हुई है, शुल्क के रूप में बड़ी राशि बकाया और देय है। विद्वत अधिवक्ता ने एक चार्ट प्रस्तुत किया है जिसमें याचिकाकर्ता और उसकी बहन द्वारा देय राशि दर्शाई गई है, जो कुल 3,14,000/- रुपये है। वह प्रस्तुत करते हैं कि यह राशि जो याचिकाकर्ता और उसकी बहन पर बकाया है और देय है, एक बड़ी राशि है, जो कम से कम चार शिक्षकों के मासिक वेतन का वित्त पोषण कर सकती है। प्रत्यर्थी सं. 1, विद्यालय, एक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय है और यदि छात्र अपनी शुल्क का भुगतान नियमित रूप से नहीं करते हैं तो विद्यालय के लिए शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है।

11. वह आगे प्रस्तुत करता है कि चूंकि डीसीपीसीआर ने विद्यालय के खिलाफ आदेश जारी किए थे, इसलिए प्रत्यर्थी सं. 1, विद्यालय, को '*इंडियन विद्यालय बनाम दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग व अन्य*' शीर्षक वाली *रि.या.(सि) सं. 16940/2022* के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश

होना पड़ा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त याचिका अभी भी लंबित है और अब दिनांक 22.03.2023 को सूचीबद्ध है।

12. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे इस न्यायालय का ध्यान याचिकाकर्ता के पिता से प्राप्त ई-मेल दिनांकित 31.08.2022 की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के संबंध में उसके पिता द्वारा अप्रैल, 2022 से अगस्त, 2022 तक ट्यूशन शुल्क का भुगतान किया गया था। कथित ई-मेल के माध्यम से, याचिकाकर्ता के पिता ने विद्यालय को आश्वासन दिया कि कुछ वित्तीय परेशानियों के कारण, शुल्क के भुगतान में देरी हुई है और वह जल्द से जल्द शेष शुल्क का भुगतान करेगा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्यालय को दिए गए आश्वासन के बावजूद, याचिकाकर्ता ने विद्यालय की अद्यतन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय को बड़ी बकाया राशि चुकानी शेष और देय है। उस राशि के लिए, जो विद्यालय को देय है, याचिकाकर्ता के पिता के खिलाफ साकेत जिला न्यायालय में वसूली के लिए एक वाद दायर करने के लिए विद्यालय को विवश होना पड़ा है।

13. प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रतिवाद करने के लिए दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 (संक्षेप में 'डीएसईआर') के नियम 35 की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि कथित नियमों के नियम 35 के तहत परिकल्पित शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता का नाम काट दिया गया है। डीएसईआर, 1973 के नियम 35 के अनुसार, शुल्क और अन्य बकाया का

भुगतान न करने के कारण विद्यालय के प्रमुख द्वारा किसी छात्र का नाम नामावली से काटा जा सकता है।

14. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रि.या.(सि) सं. 8466/2022 में पारित दिनांक 27.05.2022 के आदेश का अवलंब लेते हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि नियम 35, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रवर्तन पर बुरा प्रभाव नहीं डालता है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र है यदि वह निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर सकता है।

15. इसी प्रकार, प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता भी इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा पारित रि. या. (सि) सं. 3330/2022 में दिनांक 23.02.2022 के आदेश और रि.या. (सि) 3858/2022 में दिनांक 06.09.2022 के आदेश पर भरोसा करते हैं जिसमें इस न्यायालय ने वहां याचीगण के माता-पिता को मासिक किस्तों या एकमुश्त राशियों के भुगतान के माध्यम से बकाया शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया है|

16. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है। पक्षकारों की सहमति से मामले को अंतिम निपटान के लिए लिया जाता है।

17. शिक्षा को अनिवार्य रूप से एक धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में समुदाय की सेवा का एक प्रकार माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने **टी.एम.ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक**

राज्य, 2002 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी.1036 मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

> **"20**. अनुच्छेद 19 (1) (छ) चार अभिव्यक्तियों अर्थात्, पेशा, व्यवसाय, और व्यापार, उद्योग को नियोजित करता है। हो सकता है कि उनके क्षेत्र अतिछादित हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास अपनी सामग्री है। शिक्षा को स्वयं एक ऐसी गतिविधि माना जाता है जो प्रकृति में धर्मार्थ है (देखें बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमरबॉगवाला [ए.आई.आर 1957 एस.सी 699: (1957 एस.सी.आर 874)। अभी तक शिक्षा को व्यापार या उद्योग के रूप में नहीं माना गया है जहां लाभ ही उद्देश्य हो। यहां तक कि अगर इस बारे में कोई संदेह है कि क्या शिक्षा एक पेशा है या नहीं, तो ऐसा लगता है कि शिक्षा 'व्यवसाय' अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर आएगी। अनुच्छेद 19 (1) (छ) में चार अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है ताकि किसी नागरिक की सभी गतिविधियों को कवर किया जा सके, जिसके संबंध में आय या लाभ उत्पन्न होता है और जिसे अनुच्छेद 19 (6) के तहत विनियमित किया जा सकता है। वेबस्टर की तीसरी न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में, पृ.1650, "व्यवसाय" अन्य बातों के साथ-साथ "ऐसी गतिविधि है जिसमें एक व्यक्ति भाग लेता है" या "एक शिल्प, व्यापार, पेशा या आजीविका कमाने के अन्य साधन" के रूप में परिभाषित किया गया है

18. इस प्रकार, फीस का भुगतान न करने के आधार पर किसी बच्चे को कष्ट नहीं दिया जा सकता और उसे कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति रोकी नहीं जा सकती है या शैक्षणिक सत्र के बीच में परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता है। शिक्षा वह नींव है, जो बच्चे के भविष्य को आकार देती है और जो सामान्य रूप से समाज

के भविष्य को आकार देती है। इसलिए, किसी छात्र को परीक्षा, विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं देना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान जीवन के अधिकार से सम्बंधित बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का विस्तार किया है और शिक्षा निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क में शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को नियुक्त किया गया है।

19. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य (1984) 3 एस. सी. सी. 161 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

> **"10.**..... *यह इस देश में प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है जिसमें मानव गरिमा के साथ, शोषण से मुक्त के जीने के लिए फ्रांसिस मुलिन [फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, (1981) 1 एस.सी.सी. 608:1981 एस. सी. सी. (क्रि.मि.) 212)] के मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के भाषान्तरण के तहत आश्वासन दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठापित मानव गरिमा के साथ जीने का यह अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 41 और 42 के खण्डों (च) और (छ) से प्राप्त होता है और इसलिए, इसमें श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण और दुरुपयोग के खिलाफ बच्चों की छोटी उम्र में सुरक्षा, स्वस्थ तरीके से बच्चों के विकास के लिए अवसर और सुविधाएं, और स्वाधीनता और गरिमा, शैक्षिक सुविधाओं, काम*

की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों तथा मातृत्व राहत की स्थितियों शामिल है। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो एक व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद होनी चाहिए और किसी भी राज्य को - न तो केंद्रीय सरकार को और न ही किसी राज्य सरकार को कोई ऐसा कदम उठाने का अधिकार है जो किसी व्यक्ति को इन बुनियादी आवश्यकताओं के आनंद से वंचित करता हो।...."

20.किसी बच्चे को परीक्षा देने से रोककर उसका भविष्य कलंकित और खराब नहीं होने दिया जा सकता, विशेष रूप से ऐसे महत्वपूर्ण समय में| भारतीय समाज के संदर्भ में, दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनका छात्रों के भविष्य पर निर्णायक परिणाम और प्रभाव होता है|

21. इसी के साथ, एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के रूप में संचालित स्कूल को ऐसे बच्चे की पढाई जारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो सामान्य वर्ग में प्रवेश लेने के बाद शुल्क देने में असमर्थ है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत नहीं है| डीएसईआर, 1973 के नियम 35 की संवैधानिकता और वैधता, जो स्कूल के प्रमुख को शुल्क का भुगतान न करने के कारण किसी छात्र का नाम स्कूल की नामावली से काटने के लिए अधिकृत करती है, को किसी भी न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है|

22. इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने ***मास्टर दिव्यम भटेजा पिता श्री विनोद भटेजा द्वारा बनाम भाई परमानन्द विद्या मंदिर और अन्य,*** **मनु/डीई/2900/2022,** रि.या.(सि.)

8466/2022 में दिनांक 27.05.2022 के आदेश द्वारा डीएसईआर, 1973 के नियम 35 की वैधता की चुनौती को खारिज करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:-

"9. दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के स्वतंत्र और विशिष्ट ढांचे व इसके तहत बनाए गए नियमों और आरटीई अधिनियम व इसके तहत बनाए गए नियमों के आगे दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 35 और 167 पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संचालन को प्रभावित करता है| आरटीई अधिनियम शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है| हालाँकि, इसमें यह कहीं भी प्रदानित नहीं है कि उक्त अधिकार को बिना किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के खिलाफ बिना किसी शर्त के लागू किया जा सकता है| याचिकाकर्ता सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र है यदि वह निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता है| यदि वह ईडब्ल्यूएस वर्ग में प्रवेश का हकदार है, तो वह स्कूल शुल्क की माफी के लिए उस वर्ग के तहत आवेदन कर सकता है| यदि याचिकाकर्ता के दावे को अनुमति प्रदान की जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल भी कोई शुल्क नहीं ले सकता है, भले ही उन्हें अपने संसाधनों और अनुविधियों से अपने सभी खर्चों को पूरा करना है| यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है|

10. इसी प्रकार, दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के आक्षेपित नियम 35 और 167, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के संचालन में किसी प्रकार से बाधा या प्रभाव नहीं डालते हैं| उक्त प्रावधान पूर्ण रूप से अलग सन्दर्भ में लागू किया गया है|

23. इसलिए, बच्चे के शिक्षा के अधिकार को डीएसईआर, 1973 के अधीन स्कूल के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए| यदि याचिकाकर्ता स्कूल के शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है तो याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से स्कूल में शिक्षा जारी रखने का अधिकार नहीं है| हालाँकि, याचिकाकर्ता को इस तरह शैक्षणिक सत्र के बीच में प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है| याचिकाकर्ता के शैक्षणिक वर्ष को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, चूँकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र लगभग समाप्ति पर है| इसके अलावा, यह भी ध्यान देना उचित है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में कक्षा 10 में है, जिसके लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सीबीएसई के साथ पंजीकरण पहले ही हो चुका है| इसलिए, इस मोड़ पर, याचिकाकर्ता को एक नए स्कूल में प्रवेश लेने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, जब वर्तमान शैक्षणिक सत्र याचिकाकर्ता को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं देने से याचिकाकर्ता को बहुत कठिनाई होगी और यदि याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी| इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित समझा जाता है कि वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं को अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ता बच्चे को कक्षा 10 बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए|

24. हालांकि, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में इस तथ्य के बावजूद विलंबित चरण में संपर्क किया है कि याचिकाकर्ता का नाम स्कूल द्वारा पहले, दिनांक 07.09.2022 के पत्र के माध्यम से और बाद में, दिनांक 19.11.2022 के

पत्र के माध्यम से काट दिया गया था| यह न्यायालय अंतिम समय में, जब प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होने वाली हैं, इस न्यायालय में जाने में याचिकाकर्ता के आचरण की निंदा करता है|

25. फिर भी, एक करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता कक्षा 10 में पढ़ने वाला एक नाबालिग बच्चा है और याचिकाकर्ता का शैक्षणिक वर्ष इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की स्थिति में बर्बाद हो जाएगा, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता बच्चे को प्रत्यर्थी संख्या 1 स्कूल द्वारा कल यानी 18.01.2023 से शुरू होने वाली कक्षा 10 की प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, स्कूल याचिकाकर्ता को कक्षा 10 सीबीएसई रोल नंबर भी जारी करेगा ताकि याचिकाकर्ता कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा दे सके। स्कूल याचिकाकर्ता बच्चे को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी कक्षाओं/विशेष कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देगा।

26. हालांकि, निष्पक्षता को संतुलित करने के लिए, यह अनिवार्य माना जाता है कि याचिकाकर्ता स्कूल को देय फीस के लिए कुछ राशि का भुगतान करे। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, चूंकि याचिकाकर्ता के पिता की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि परिवार वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है, इसलिए यह निर्देश

दिया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर स्कूल को फीस के लिए देय बकाया राशि के लिए 30,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा|

27. सभी लंबित आवेदनों के साथ पूर्वोक्त शर्तों में वर्तमान रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

मिनी पुष्कर्णा, न्यायाधीश

17 जनवरी, 2023/पीबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*